

HRA Saxette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2203]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2009/पौष 8, 1931

No. 2203]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2009/PAUSA 8, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3303(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश संख्यांक का.आ. 489(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आर्देश के पैरा 1 में ''छह वर्ष और आठ मास की अवधि के लिए'' शब्दों के स्थान पर''आठ वर्ष और आठ मास की अवधि के लिए'' शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. जैड-20018/1/99-सी.पी.ए.] रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण: —मूल आदेश भारत के राजपत्र में का.आ. 489(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था और का.आ. 56(अ), तारीख 14 जनवरी, 2005 और का.आ. 253(अ), तारीख 19 फरवरी, 2007 और का.आ. 1539(अ), तारीख 24 जून, 2008 द्वारा उसमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS ORDER

New Delhi, the 29th December, 2009

S.O. 3303(E).—In exercise of the powers confen by sub-section (1) and (3) of Section 3 of the Environme (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in 1900 Order of the Government of India in the Ministry Environment and Forests, number S.O. 489(E), dated 30th April, 2003, namely:—

In the said Order, in paragraph 1, for the words "fe period of six years and eight months", the words "fe period of eight years and eight months" shall substituted.

[F. No.Z-20018/1/99-CF

RAINEESH DUBE, JLS

Note:—The principal Order was published in the Gaz of India vide number S.O. 489(E), dated 30th A 2003 and subsequently amended vide S.O. 56 dated 14th January, 2005, S.O. 253(E), d 19th February, 2007 and S.O. 1539(E), d 24th June, 2008.